



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

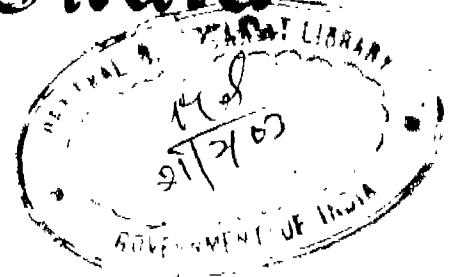
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 773]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2002/भाद्र 6, 1924

No. 773]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2002/BHADRA 6, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2002

का.आ. 919(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की अधिसूचना 78 (अ) तारीख 4 फरवरी, 1999, द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निदेश देती है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 की 366.20 कि.मी. से 396 कि.मी. तक (किशनगढ़-अजमेर खंड) और 0 कि.मी. से 263/500 कि.मी. तक (अजमेर-उदयपुर खंड) स्ट्रेचिज का प्रबंध, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, राजस्थान की राज्य सरकार को सौंपती है।

[सं. एनएच-14012/4/2001-पीएंडएम]

एन. के. सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2002

S.O. 919(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) Number S.O. 78(E) dated the 4th February, 1999 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the National Highway No. 8, in the State of Rajasthan, to the National Highways Authority of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the Central Government being of the opinion that in the public interest it is necessary and expedient so to do, hereby directs the National Highways Authority of India to entrust the management of the stretches from Km. 366.20 to Km. 396 (Kishangarh-Ajmer Section) and from Km. 0 to Km. 263/500 (Ajmer-Udaipur Section) of National Highway No. 8 to the State Government of Rajasthan for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. NH-14012/4/2001-P&M]

N. K. SINHA, Director General (Road Development) and Spl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2002

क्रा.आ. 920(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

[सं. एनएच-14012/4/2001-पीएंडएम]

एन. के. सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2002

S.O. 920(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the National Highway No. 79A to the National Highways Authority of India.

[No. NH-14012/4/2001-P&M]

N K. SINHA, Director General (Road Development) and Spl. Secy.